

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249592
SG-DL-E-20102023-249592असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| सं. 316] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260 |
| No. 316] | DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945 | [N. C. T. D. No. 260 |

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

फा.सं. 61(1970)/Notification JJB-VII/DD (CPU)/DWCD/11632-64.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 की उप-धारा (59) के साथ धारा 4 की उप-धारा (1) और, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, द्वारा उक्त अधिनियम और नियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संदर्भ में किशोर न्याय बोर्ड-VII का गठन दिनांक 03.06.2023 से प्रभावी रूप से किया जाता है। बोर्ड अपने अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संदर्भ में उक्त अधिनियम और नियम के तहत करेगा।

किशोर न्याय बोर्ड-VII अपने निर्दिष्ट परिसर कामकाजी महिला छात्रावास पॉकेट -14, पीएसपी -14, सेक्टर -8, द्वारका, दिल्ली -110077 से कार्यरत है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th October, 2023

F.No.61(1970)/Notification JJB-VII/DD (CPU)/DWCD/11632-64.— In exercise of Powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with clause (59) of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Rule 3 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the Juvenile Justice Board-VII with effect from 03.06.2023 to exercise the powers and discharge functions, in relation to the children in conflict with law, as assigned under the said Act and Rules, for the National Capital Territory of Delhi.

The Juvenile Justice Board-VII functions from its designated premises, located at Working Women's Hostel Pocket-14, PSP-14, Sector-8, Dwarka, Delhi-110077.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi.

KRISHAN KUMAR, Director